BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 28 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर महिला उत्पीड़न के आरोपी को 02 वर्ष 04 माह का सश्रम कारावास व 8,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शिवराम पुत्र खड़क सिंह निवासी अमीपुर आंगर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2021 में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने व तेल डालकर जला देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18.07.2021 को थाना ककोड़ पर मुअसं- 354/2021 धारा- 498ए, 323, 307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 12.10.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 28.11.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-04 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शिवराम को 02 वर्ष 04 माह का सश्रम कारावास व 8,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री चन्द्रभान सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर